पाणिनि-प्रज्ञापीठम् वेदविद्यालयः

महावीर मन्दिर,पटना द्वारा सञ्चालित

तथा

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रिय वेदविद्या प्रतिष्ठान,उज्जैन

स्वीकृत, अनुदान रहित पाठशाला

नियमावली

गुरुकुल की अवधारणा

जिस शिक्षा की आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन एवं समाज में व्यवहार के लिए है, वह शिक्षा गुरुकुलों से मिलती है, गुरुकुल ही भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं। गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की प्राचीनतम शिक्षा व्यवस्था है। गुरुकुल का अर्थ गुरु का परिवार। गुरुकुल को आचार्यकुल और ऋषिकुल भी कहते हैं। जीवन निर्माण हेतु, मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य पाने हेतु, योग, आयुर्वेद, धर्म, संस्कृति, जीवन-विज्ञान, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्, आदि ग्रन्थों के अध्ययनार्थ तो गुरुकुल से अच्छा स्थान कहीं सुलभ नहीं होगा।

गुरुकुल की आदर्श दिनचर्या

विद्वान् आचार्यों की देखरेख में 24 घण्टे विद्यार्थी अनुशासन में रहते हैं। सबके लिए समान भोजन, समान आवास व्यवस्था एवं अनेक प्रकार के समान शिक्षा व्यवस्था का सुन्दर प्रबन्धन आपको गुरुकुल में देखने को मिलेगा। दिनचर्या में आत्मिक विकास के लिये 2 घण्टा मन्त्रपाठ सहित सन्ध्या-यज्ञ, ध्यान। शारीरिक विकास के लिए एवं भारतीय कृषि, शिल्प आदि परम्पराओं से अवगत हो, इसके लिये 2 घण्टे से अधिक शारीरिक श्रम। लगभग दो घण्टा व्यायाम, आसन, दण्ड बैठक, यौगिक जोगिंग, प्राणायाम आदि का प्रशिक्षण। कक्षा पाठ्यक्रम अध्ययन अध्यापन हेतु 10 से 12 घण्टे की व्यवस्था।

अध्ययन का माध्यम तथा पाठ्यक्रम

विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को हिंदी-संस्कृत माध्यम से अध्ययन कराया जाता है। वेदभूषण प्रथम वर्ष से वेद विभूषण सप्तम वर्ष तक यह पाठ्यक्रम महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों से कराया जाता है।

1-5 वर्ष तक — **वेदभूषण** (10वीं परीक्षा के समकक्ष मान्यता)

6-7 वर्ष — **वेदविभूषण** (12वीं परीक्षा के समकक्ष मान्यता)

विद्यालय का सत्र

विद्यालय में शैक्षणिक सत्र मार्च से आरंभ होकर फरवरी अंत तक संपन्न होता है।

प्रवेश प्रक्रिया

1. सर्वप्रथम वेद विद्यालय से विवरणिका सह प्रवेश आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क 50 रुपये देकर प्राप्त करें।
2. विवरणिका का व्यवस्थित अध्ययन करने के पश्चात् आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरना एवं अद्यतन अपेक्षित फोटो लगाना अपेक्षित है। फोटो 3 माह से अधिक पुराना न हो।

3. प्रवेश पूर्व समस्त अपेक्षित दस्तावेजों की छाया प्रति स्वयं द्वारा सत्यापित कर आवेदन के साथ संलग्न करें।
4. प्रवेश परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने पर अभिभावक एवं छात्र प्रवेश समिति के सम्मुख परामर्श हेतु उपस्थित होंगे।
5. परामर्श उपरांत आवेदन समस्त संलग्नकों सहित विद्यालय कार्यालय में जमा करवायें।
6. जमा आवेदनों की पावती व प्राचार्य की संस्तुति इसके उपरांत कार्यालय से ही प्राप्त होगी।
7. यह पावती प्राचार्य ऑफिस में शुल्क सहित जमा करें।
8. विद्यार्थी को प्रवेश के समय पाँचवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
9. प्रवेश से पहले छात्र की उत्तीर्ण कक्षा की लिखित एवं मौखिक परीक्षा होगी, जिसमें उत्तीर्ण होने के उपरान्त स्थायी प्रवेश दिया जायेगा।
10. प्रवेश के एक सप्ताह उपरांत सतत प्रगति, उपस्थित इत्यादि का अवलोकन करने हेतु विद्यालय से अपना संपर्क साधे। कृपया समय-समय पर आयोजित अभिभावक संपर्क कार्यक्रम (PTM) में सम्मिलित हों। कक्षा शिक्षक व विद्यालय से यदा-कदा छात्र की प्रगति की जानकारी लेते रहें।

प्रवेशकाल में जमा किये जाने वाले दस्तावेज :

1. छात्र की पाँचवीं कक्षा के अंकपत्र की प्रतिलिपि।
2. विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (टी.सी.) की मूल प्रति।
3. निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate).
4. छात्र एवं पिता/अभिभावक आधार कार्ड की प्रतिलिपि।
5. चार पासपोर्ट साइज की फोटो।
6. छात्र से मिलने आने वाले अधिकतम तीन अभिभावकों के पासपोर्ट फोटो चार-चार,आधार कार्ड /चुनाव पहचान पत्र की प्रतिलिपि। (ध्यान रहे यहाँ जिनकी फोटो होगी, वे ही छात्र से मिल पायेंगे।)
7. ***छात्र का चिकित्सकीय स्वास्थ्य प्रमाणपत्र** (Medical Fitness Certificate)।

इन दस्तावेजों के अनिवार्य रूप से जमा होने पर ही छात्र का स्थायी प्रवेश होगा।

प्रवेश के समय छात्रों के उपयोग की सामग्री (अभिभावक द्वारा देय)

धोती— सफेद 2
कुर्ता- सफेद 2
हाफ पैंट- 2
गंजी- 2, अंतर्वस्त्र- 4
अंगपोछा- 2
मौसम के अनुसार पहनने के लिए अन्य वस्त्र
एक अटैची (ट्रॉली वाली)
थाली-1, ग्लास-2, पीतल का एक लोटा
कम्बल का आसन, अर्घा-पंचपात्र

विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के लिए विद्यालय संबंधी नियमों की जानकारी

1. छात्र को इस विद्यालय में प्रवेश समुचित शिक्षा ग्रहण, नियमित दिनचर्या एवं सुसंस्कृत करने के लिए दिया गया है, अतः अभिभावक प्रवेशार्थी छात्र को घर पर सूर्योदय से पूर्व उठना, स्नान करना आदि की आदत डाल दें तथा अनुशासन एवं आज्ञापालन की प्रेरणा दें।
2. विद्यालय में प्रवेश के बाद छात्र को **एक मास तक पर्यवेक्षण** के लिए रखा जाएगा। यदि वे विद्यालय के शैक्षणिक एवं अनुशासन तथा निर्धारित दिनचर्या का प्रदर्शन नहीं करते हैं, तो आचार्य की अनुशंसा पर प्रवेश निरस्त किया जाएगा।
3. वेद विद्यालय के छात्र कठिन साधना कर सफलता पाते हैं। उनकी दिनचर्या में तपस्या की परिस्थिति होती है। अतः किसी लंबी बीमारी के कारण छात्र का स्वास्थ्य यदि इस साधना के अनुकूल नहीं हो, तो अभिभावक

प्रवेश से पूर्व इस स्थिति को स्पष्ट करेंगे। प्रवेश के बाद शारीरिक अक्षमता के कारण दिनचर्या तथा अध्ययन में कोई छूट नहीं दी जा सकेगी।

4. प्रवेश के बाद पाठ्यक्रम समाप्त किए बिना छात्र को दूसरे विद्यालय में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विशेष परिस्थिति में, प्रवेश से एक मास के बाद से लेकर वेदभूषण की परीक्षा-समाप्ति के पूर्व तक यदि अभिभावक के दबाव में छात्र को विद्यालय से निकाला जाता है, अथवा छात्र की अवांछित गतिविधियों के कारण उसे निकालने की बाध्यता हो जाती है, तो विद्यालय में व्यतीत किए गए प्रति मास 2,000 रुपये की दर से आर्थिक क्षतिपूर्ति शुल्क विद्यालय के द्वारा लिया जाएगा। विना पूर्व सूचना दिए अवकाश के विना एक सप्ताह तक छात्र की अनुपस्थिति भी इसी कोटि में माना जाएगा।
5. आचार्य अथवा अधिकारी की अनुमति के बिना छात्र का विद्यालय परिसर से निकलना दण्डनीय अपराध माना जाएगा।
6. पढ़ाई, खेलकूद एवं शिक्षणेतर गतिविधियों के दौरान विद्यार्थी को हुई किसी भी प्रकार की क्षति, जैसे चोट, अनहोनी, चोरी, जुर्माना आदि के लिए विद्यालय जिम्मेदार नहीं रहेगा और न ही किसी क्षतिपूर्ति के लिए किसी भी प्रकार का दावा मान्य होगा। विद्यालय के द्वारा समुचित प्राथमिक चिकित्सा-व्यवस्था करायी जाएगी।
7. यह विद्यालय महावीर मन्दिर, पटना द्वारा संचालित है। समय-समय पर आवश्यकता के अनुरूप विद्यार्थियों को महावीर मन्दिर अथवा संबंधित प्रतिष्ठानों में व्यावहारिक शिक्षा/प्रदर्शन के लिए ले जाना होता है। इस पर अभिभावक या छात्र की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
8. यदि छात्र उपस्थिति में कमी, आज्ञा की अवहेलना, पढ़ाई में लापरवाही, सहपाठियों से झगड़ा, परीक्षा में नकल, अपशब्दों का प्रयोग, नशा का सेवन, शिक्षकों से दुर्व्यवहार, विद्यालय की संपत्ति का नुकसान आदि करते पाया जाता है तो तत्काल विद्यालय से सदण्ड निष्कासित कर दिया जायेगा।
9. कोई भी विद्यार्थी यदि अनुशासनहीन व्यवहार करता है तो उसके प्रति कड़ी अनुशासनात्मक व्यवस्था ली जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थी के हित में यदि उसे शारीरिक दण्ड देना पड़े तो ऐसी परिस्थिति में अभिभावक संस्था के संचालक अथवा गुरुओं से किसी भी प्रकार का वाद-विवाद नहीं करेंगे।
10. गुरुकुल के छात्र सादा जीवन उच्च विचार के मार्ग पर चलते हैं। अतः अभिभावक छात्र को कोई स्थायी वस्तु, नगद, कोई गैजेट न दें।
11. गुरुकुल का पाठ्यक्रम पूर्णकालीन, निःशुल्क एवं आवासीय है। यहाँ पढ़ने के लिये अभिभावक को मासिक शुल्क देना नहीं पड़ेगा। समय-समय पर पुस्तक एवं अन्यान्य सामग्री के लिए अल्प शुल्क देना पड़ सकता है।
12. यहाँ विद्यार्थी का पूरा ध्यान रखने का प्रयास किया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी को हम अपनी ही सन्तान समझकर उनकी देखभाल करते हैं।
13. पालक अथवा अभिभावक अपने बच्चे से मिलने सीधे कक्षा में न जायें विशेष परिस्थिति में प्राचार्य से अनुमति लेकर कर्मचारी के माध्यम से करें तथा वर्ग समाप्ति के पूर्व मुलाकात के लिए छुट्टी न मांगे।
14. पालक को जब भी उसके पाल्य का परिणाम दिखाने या उससे संबंधित किसी कारण से विद्यालय में बुलाया जाता है, तब पालक स्वयं ही आएं कोई प्रतिनिधि मान्य नहीं होगा।

15. आपका कोई सुझाव या शिकायत है तो आप सीधे प्राचार्यजी से बात करें अथवा शिकायत पेटी में अपने सुझाव डालें किन्तु विद्यालय के मामलों में स्वयं हस्तक्षेप न करें।
16. नवीन विद्यार्थियों को अभिभावकों से फोन पर बात करने का समय सप्ताह में एक बार रहेगा। कालांतर में यह समय अष्टमी और प्रतिपदा के दिन निर्धारित है। पूर्व सूचना व स्वीकृति के पश्चात् माता-पिता/अभिभावक छात्र को मिलने के लिए गुरुकुल आ सकते हैं। आपात स्थिति में आचार्य से फोन पर संपर्क कर सकते हैं।
17. विद्यार्थी के जन्मदिवस पर माता-पिता से मिलने के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित है। आचार्य की पूर्व अनुमति के बिना अभिभावक गुरुकुल में कोई उत्सव नहीं मना सकेंगे। केक काटने की कदापि अनुमति नहीं जाएगी।

क्र.सं.	आर्थिक दण्ड	राशि
1	**स्थायी वस्तु को पूर्णतः क्षतिग्रस्त करने पर**	**वस्तु का बाजार मूल्य+ 250 रुपये**
2	**स्थायी वस्तु को आंशिक क्षतिग्रस्त करने पर**	**वस्तु का मरम्मत शुल्क+ 250 रुपये**
3	**उपाधि पाने से पूर्व विद्यालय का परित्याग**	**2000 रुपये प्रति मास की दर से क्षतिपूर्ति शुल्क**
4	**अन्य आर्थिकेतर दण्ड का निर्धारण आचार्य करेंगे।**	

उपयुक्त सभी नियमों के लिए प्रत्येक अभिभावक को शपथ पत्र गुरुकुल में देना होगा। उपर्युक्त सभी नियमों को मैं ठीक से पढ़ा हूँ, समझा हूँ और गुरुकुलीय व्यवस्था में सहयोगी बनकर इन नियमों को अक्षरशः पालन करूंगा और अभिभावक शपथ पत्र गुरुकुल में जमा करूँगा। अतः मेरे पुत्र को गुरुकुल में प्रवेश हेतु अनुमति दी जाये।

हस्ताक्षर अभिभावक

पाणिनि प्रज्ञा पीठम् वेद विद्यालय

वैदिक विद्यालय में प्रवेश हेतु नवीन विद्यार्थी का विवरण

1.	नाम		कृपया नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो चिपकाना अनिवार्य है।
2.	पिता / माता का नाम		
3.	जन्मतिथि		
4.	आधार नम्बर		
5.	वर्ग जो हो उस पर सही का चिन्ह लगाए।	सामान्य [ ] अनुसूचित जाति [ ] अनुसूचित जनजाति [ ] अन्य पिछड़ा वर्ग [ ]	
6.अ	स्थायी पता		
6.ब	वर्तमान पता (मोबाइल नं. सहित)		
7.	भाषा ज्ञान : (1) मातृभाषा (2) संस्कृत (3) हिन्दी (जो हो उनका उल्लेख करें)	……	
	दिनांक : स्थान :	अभिभावक का नाम व हस्ताक्षर	

1. वेदविद्यालय में वेद भूषण प्रथा वर्ष में प्रवेश लेने हेतु छात्र को निम्न अभिलेखों(documents) की आवश्यकता होगी :
2. कक्षा 5 वीं उत्तीर्ण अंकसूची (mark sheet),विद्यालय स्थानान्तरण(School Leaving Certificate) की मूल एवं छायाप्रति । साथ ही 5वीं के समकक्ष लिखने पढने की योग्यता(हिन्दी /अंग्रेजी/गणित/सामान्य ज्ञान) हो।
3. जन्म तिथि प्रमाण पत्र (सरकारी प्राधिकार द्वारा प्रदत्त), आधार कार्ड प्रति एवं पूर्व अध्ययन अंक प्रति जांच हेतु संलग्न करना अत्यन्त अनिवार्य है।
4. छात्र की वेद विद्यालय परम्परा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 13 वर्ष (जनवरी,2026)मान्य होगी।
5. छात्र का नवीनतम सफेद पृष्ठभूमि के साथ रंगीन छाया चित्र।
6. किसी भी अन्य जानकारी के लिए कृपया 8603642209 पर प्रातः 10:30 बजे से सायं 05:00 बजे तक संपर्क करें।

घोषणा पत्र

मैंने उपरोक्त नियमों व उप नियमों को भली-भांति प्रकार से पढ़कर समझ लिया है।
मैं श्री/श्रीमती_____, आयु_____वर्ष,
निवासी_____ पो०_____थाना
_____, जिला_____पिन_____ बिहार/झारखण्ड/उत्तरप्रदेश/पं. बंगाल का निवासी हूं। मेरा आधार नम्बर _____ हैं। वेद विद्यालय द्वारा प्रदत्त छात्र-प्रवेश नियमावली 2026 -27 के सभी नियमों को मैं स्वस्थ मन से अच्छी तरह पढ़ा हूँ, समझा हूँ, उन नियमों को मानकर मैं अपने पुत्र को वेद विद्यालय में कक्षा.....में प्रवेश करा रहा हूँ। गुरुकुलीय व्यवस्था में सहयोगी बनकर नियमावली में वर्णित सभी नियमों को अक्षरशः पालन करूंगा, समय अनुसार धर्म और न्यायपूर्वक गुरुकुलीय नियमों में जो परिवर्तन और संशोधन होगा उन नियमों को भी मैं सहर्ष पालन करूंगा। गुरुकुल के विरोध में कभी भी प्रकार की राजनीति या अवांछित कार्य नहीं करूंगा।

मैं_____उपर्युक्त समस्त नियमों व उपनियमों का पालन करने का वचन देता / देती हूं।

मैं यह जानता / जानती हूं कि उपरोक्त नियमों उपनियमों में से किसी भी नियम पर आर्थिक दंड अथवा निलंबन या निष्कासन उल्लंघन करने पर मेरे पुत्र _____अनुशासनात्मक कार्यवाही वेद विद्यालय प्रशासन द्वारा की जाएगी।

मैं पूर्ण जिम्मेदारी से यह पूरी नियमावली अपने पास रखूंगा एवं समय-समय पर इसे पढ़कर उपरोक्त विषय अनुसार कार्यशील रहूंगा/ रहूंगी।

माता / पिता (हस्ताक्षर)

नाम_____
पता_____
आधार संख्या_____
मो०_____

विद्यार्थी (हस्ताक्षर)

नाम_____
कक्षा_____
आधार संख्या_____
पता _____

फोटो अभिभावक

फोटो छात्र